

प्रेषक:-

प्राचार्य,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर ।

मुज0

दिनांक - 9/4/2020

विषय: COVID-19 के मद्देनजर Guest House के कमरे को खाली कराने के संबंध में ।

प्रसंग: अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर के पत्रांक - 1367/20 दिनांक - 01.04.2020 महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक, इस कार्यालय के पत्रांक 938/20 दिनांक - 01.04.2020 द्वारा श्री सुमनजी झा, पु0स0अ0नि0, एस0के0एम0सी0एस0 ओ0पी0 प्रभारी, अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा इस महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में जिस कमरे में ताला लगाये हुए है, उसे खाली किया जाए, ताकि COVID-19 के मद्देनजर ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को ठहरने हेतु कमरा उपलब्ध कराया जा सके । परन्तु श्री सुमनजी झा, पु0स0अ0नि0 द्वारा कुछ कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए गेस्ट हाउस के कमरे को खाली नहीं करने की सूचना दी गई है, जो खेद का विषय है ।

विदित हो कि गेस्ट हाउस इस महाविद्यालय के उपयोग के लिए है तथा वर्तमान में COVID-19 के Outbreak के मद्देनजर चिकित्सकों को ठहराने हेतु अधिकाधिक कमरे की आवश्यकता है । कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है कि COVID-19 के मद्देनजर ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को ठहराने की व्यवस्था करना । साथ ही यह भी सूचित करना है कि गेस्ट हाउस में वैसे चिकित्सक ठहरे हुए हैं, जो COVID-19 के संदिग्ध मरीजों के Isolation में ड्यूटी कर रहे हैं तथा उनसे अन्य लोगों को Social Distance में रहना अत्यन्त आवश्यक है । ऐसे स्थिति में गेस्ट हाउस में चिकित्सकों के अतिरिक्त अन्य लोगों का ठहरना अनिवार्य रूप से वर्जित है । परन्तु ऐसे परिस्थिति में श्री सुमनजी झा, पु0स0अ0नि0 द्वारा अपनी व्यक्तिगत परेशानी का उल्लेख करते हुए गेस्ट हाउस खाली नहीं करने की सूचना कॉलेज प्रशासन को दी है । फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहतियात बरतते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा उनके द्वारा Occupied कमरे में अलग से एक ताला लगवा दिया गया है ।

अतः उक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई करते हुए श्री सुमनजी झा, पु0स0अ0नि0 द्वारा कब्जा किए गए कमरे को यथाशीघ्र खाली करवाने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

पत्रांक:-

प्रेषक:-

प्राचार्य,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।  
सेवा में,  
जिला पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर ।

मुज० दिनांक -

विषय: COVID-19 के मद्देनजर Guest House के कमरे को खाली कराने के संबंध में ।  
प्रसंग: अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर के पत्रांक - 1367/20 दिनांक - 01.04.2020  
महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक, इस कार्यालय के पत्रांक 938/20 दिनांक - 01.04.2020 द्वारा श्री सुमनजी झा, पु०स०अ०नि०, एस०के०एम०सी०एस० ओ०पी० प्रभारी, अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा इस महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में जिस कमरे में ताला लगाये हुए है, उसे खाली किया जाए, ताकि COVID-19 के मद्देनजर ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को ठहरने हेतु कमरा उपलब्ध कराया जा सके । परन्तु श्री सुमनजी झा, पु०स०अ०नि० द्वारा कुछ कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए गेस्ट हाउस के कमरे को खाली नहीं करने की सूचना दी गई है, जो खेद का विषय है ।

विदित हो कि गेस्ट हाउस इस महाविद्यालय के उपयोग के लिए है तथा वर्तमान में COVID-19 के Outbreak के मद्देनजर चिकित्सकों को ठहराने हेतु अधिकाधिक कमरे की आवश्यकता है । कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है कि COVID-19 के मद्देनजर ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को ठहराने की व्यवस्था करना । साथ ही यह भी सूचित करना है कि गेस्ट हाउस में वैसे चिकित्सक ठहरे हुए हैं, जो COVID-19 के संदिग्ध मरीजों के Isolation में ड्यूटी कर रहे हैं तथा उनसे अन्य लोगों को Social Distance में रहना अत्यन्त आवश्यक है । ऐसे स्थिति में गेस्ट हाउस में चिकित्सकों के अतिरिक्त अन्य लोगों का ठहरना अनिवार्य रूप से वर्जित है । परन्तु ऐसे परिस्थिति में श्री सुमनजी झा, पु०स०अ०नि० द्वारा अपनी व्यक्तिगत परेशानी का उल्लेख करते हुए गेस्ट हाउस खाली नहीं करने की सूचना कॉलेज प्रशासन को दी है । फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहतियात बरतते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा उनके द्वारा Occupied कमरे में अलग से एक ताला लगवा दिया गया है ।

अतः उक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई करते हुए श्री सुमनजी झा, पु०स०अ०नि० द्वारा कब्जा किए गए कमरे को यथाशीघ्र खाली करवाने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्राचार्य

ज्ञापांक:- 997/20

दिनांक- 9/4/2020

- प्रतिलिपि: 1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
3. ईस्टेट ऑफिसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
4. कॉलेज वेबसाइट ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

PD 10

अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर,  
दिनांक:- 1-4-20

ज्ञापांक... 1367... / 20

~~सेवा में~~  
~~13/4~~

प्रचार्य,  
एस0के0एम0सी0एच0,  
मुजफ्फरपुर।

Sri Krishna Memorial College, Muz.  
Letter: 1350/20  
Date: 04/04/20  
Receiver Sign

प्रसंग:- आपका का कार्यालय पत्रांक-938, दिनांक-01.04.20  
विषय:- गेस्ट हाउस का कमरा खाली करने के संबंध में।

---000---

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि प्रसांगीक कार्यालय ज्ञापांक माध्यम से प्राप्त पत्र मे गेस्ट हाउस के कमरा को खाली करने हेतु उल्लेख किया गया है, उल्लेखनीय है कि एस0के0एम0सी0एच0, मुज0पुर के परिसर की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था व संधारण हेतु ओ0पी0 खोला गया है। इस ओ0पी0 में मुलभूत सुविधाएँ जैसे शौचालय, स्नानघर एवं पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस ओ0पी0 में मैं और मेरे सहयोगी चौकीदार-5/3 सुखदेव राम के आलावे प्रत्येक दिन थाना स्तर से सशस्त्रबल एवं पुलिस पदाधिकारी आते रहते हैं, इसके आलावे मुज0पुर जिला के अन्य थानों के अतिरिक्त दुसरे जिला से पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्रबल आते रहते हैं। एस0के0एम0सी0एच0, मुज0पुर परिसर मे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर वरीय पुलिस पदाधिकारी भी आते हैं और विधि-व्यवस्था संधारण हेतु काफी समय तक परिसर मे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एस0के0एम0सी0एच0, ओ0पी0 में शौचालय, स्नानघर, पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं विधि-व्यवस्था संधारण में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्व से ही गेस्ट हाउस का एक कमरा पुलिस विभाग के पदाधिकारीयो के लिए रखा गया है।

श्रीमान को सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

1-4-20

1-4-20  
(पु0स0अ0नि0 सुमन जी झा)  
प्रतिनियुक्त, एसकेएमसीएच, ओ0पी0  
अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर